माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सं.अ.सं. विभाग / जा. कमांक / 624 दिनांक 30 / 09 / 2014

परिपत्र

प्रति,

संचालक

समस्त अध्ययन केन्द्र

विषयः– रजिस्टर्ड संस्थाओं की जानकारी ऑनलाईन अपडेट करने के संबंध में।

संदर्भः– रजिस्टार फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश का अर्ध शास.पत्र कमांक 5 / 219 / 14 दिनांक 02 / 09 / 14 एवं जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश शासन का पत्र कमांक ए–10–1 / 2014 / जसंसं / स्था / 6608 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 ।

इस संदर्भ में अवगत हों कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की गई जानकारियों का विवरण ऑनलाईन अपडेट करने हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक एप्लीकेशन www.mponline.gov.in एवं कार्यालय की वेबसाइट www.registrarfirms.mp.gov.in पर तैयार की गई है। अतः विश्वविद्यालय की मध्यप्रदेश में स्थित समस्त अध्ययन संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि वे अपने रिकार्ड के आधार पर रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत अद्यतन जानकारियों का विवरण, यह पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

निर्धारित समयावधि तक जिन संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की जावेगी उन संस्थाओं को निष्क्रिय माना जाकर रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज अधिनियम के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय के अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(दीपक शर्मा)

निदेशक

(संबद्धअध्ययन संस्थाएँ)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

बी–38 विकास भवन, प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल–462011, फोन : (0755) 2725559, 2725307, फैक्स : (0755) 2561970

B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, Zone-I M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755) 2725559, 2725307, Fax: (0755) 2561970

Website – www.mcu.ac.in

जनसंपर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक ए-10-1/2014/जसंसं/स्था/ 6608 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर,2014

प्रति,

1. **एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर,**
   मध्यप्रदेश माध्यम,
   40, अरेरा प्रशासनिक परिसर,
   भोपाल (म.प्र.)
2. **रजिस्ट्रार,**
   माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
   भोपाल (म.प्र.)

विषय:- रजिस्टर्ड संस्थाओं की जानकारी संस्था के रिकार्ड के आधार पर ऑनलाईन अपडेट किये जाने के संबंध में।

....

विषयांतर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमाक एस/219/14 दिनांक 02.09.2014 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(सुरेश गुप्ता) 19/9/14

अपर संचालक (प्रशासन)

पी.ए.
रजिस्ट्रार (श्रीवास्तव)
9/9/2014

रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश

प्रथम तल, खण्ड-घ, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

कार्या. : 0755-2760363
निवास : 0755-2430360
फैक्स : 0755-2760363
ई-मेल : rfs@mp.gov.in
rfsmpbhopal@gmail.com

एस.सी.तिवारी
रजिस्ट्रार

जन-सम्पर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
पंजी. क्रमांक ......
दिनांक 9-9-14

अर्ध शास. पत्र क्रमांक S/219/14
दिनांक 02/09/14

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.
समस्त आयुक्त, म.प्र.
समस्त कलेक्टर, म.प्र.

विषय- रजिस्टर्ड संस्थाओं की जानकारी संस्था के रिकार्ड के आधार पर ऑनलाईन अपडेट किये जाने के संबंध में।

::::::

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की गई जानकारियों का विवरण ऑनलाईन अपडेट करने हेतु एक एप्लीकेशन तैयार कराई गई है। यह एप्लीकेशन एम.पी.ऑनलाईन द्वारा तैयार की जाकर उनकी वेबसाईट www.mponline.gov.in एवं कार्यालय की वेबसाईट www.registrarfirms.mp.gov.in पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन में संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं उनके द्वारा पूर्व में रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत जानकारियों से संबंधित विवरण संस्था रिकार्ड के आधार पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश में पंजीकृत संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने रिकार्ड के आधार पर रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत जानकारियों का विवरण दिनांक 15/09/2014 तक ऑनलाईन प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक जिन संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की जावेगी उन संस्थाओं को निष्क्रिय माना जाकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यालय द्वारा फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव का परीक्षण आदि का कार्य ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

अतः आपके विभाग/संभाग/ जिले के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्थाओं से उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवेदन है।

भवदीय

(एस.सी.तिवारी)